तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./1517/2006/भरतपुर सरकार बनाम सोनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः
श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
श्री दिनेश कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

_____

दिनांकः–22.04.2026

–: आदेश :–

1– यह रेफरेन्स धारा 82 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2001 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस रेफरेन्स पर सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 519/1–03, 521/0–18 किता–02 रकबा 2–01 वाके कस्बा भरतपुर चक नम्बर जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट प्रभाव होने से पूर्व से ही राजकीय मिलकीयत की थी। विवादित आराजी को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन नहीं किया गया तथापि अप्रार्थी संख्या एक ने विवादित आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर अपने आपको राजस्व रिकार्ड में पटटेदार साल एक अंकित करा लिया है। उनका यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये नामांतरकरण संख्या 876 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत तहसीलदार, भरतपुर द्वारा विवादित आराजीयात पर खातेदारी प्रदान की गयी है, जबकि धारा 15 आरटीए के तहत तहसीलदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के कोई अधिकार नहीं है तथा धारा 15 (2) के ततहत अस्थायी काश्त/पटटे पर दी गयी भूमि पर खातेदारी दियाा जाना वर्जित है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी भरतपुर शहर की आबादी के नज़दीक है तथा नगर सुधार न्यास द्वारा अवाप्त घोषित कराया है। अप्रार्थी विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./1517/2006/भरतपुर सरकार बनाम सोनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी का मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा हैं। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया। 4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस अभिकथन किया कि विवादित आराजी जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट प्रभावी होने से पूर्व कभी भी राजकीय नहीं होकर अप्रार्थी के पुरखों के कब्जे काश्त की रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही वे प्रश्नगत आराजी पर काबिज हैं। नामांतरकरण संख्या 876 विधिवत एवं सही है। प्रस्तुत रेफरेन्स मियाद बाहर है। प्रश्नगत आराजी सम्वत् 2010 से अप्रार्थी के नाम चलती चली आ रही है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे। 5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2034–37 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 519 रकबा 1–03 बीघा व खसरा संख्या 521 रकबा 0–18 बीघा मु. सोनिया बेवा गढेला के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–18 संलग्न है। जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 519 रकबा 1–03 बीघा व 521 रकबा 0–18 बीघा मु0 सोनिया बेवा गठेला कौम माली के नाम दर्ज होना अंकत है। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2014 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी मु0 सोन्या बेवा गठेला कौम माली कुम्हेर दरवाजा पट्टेदार दर्ज होना अंकित है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2010 संलग्न है जिसके अनुसार कॉलम संख्या 05 में प्रश्नगत आराजी पर कृषक का नाम सोनिया बेवा गठेला दर्ज है। कॉलम संख्या 04 में प्रश्नगत आराजी सरकार दौलत मजार मजकूर दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2019–22 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी मु0 सोनियाबेवा गठेला के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2034–37 संलग्न है जिसमें प्रश्नगत आराजी मु0 सोनिया बेवा गठेला के नाम दर्ज होना अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी के नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज थी जिसे खातेदारी में दर्ज करवा लिया गया। 6– परिणामतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./1517/2006/भरतपुर सरकार बनाम सोनिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 876 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि को पुनः राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	